भंवर में भाजपा

आपकी आवाज़

मूल्य 10 रुपये

# इंडिया न्यूज़

साप्ताहिक

11 सितम्बर, 2009

# 498-ए

## पति प्रताड़ना और पीड़ा

# 498-ए

# पति, प्रताड़ना और पीड़ा

नसीम अंसारी

फिल्म 'दस्तक' का मन को छू लेने वाला गीत है : माई री, मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की...'। इस गीत को मदनमोहन और लता मंगेशकर दोनों ने अलग-अलग अपना स्वर दिया है। यूं तो पिक-बैनी लता ने इस गीत को बेहद खूबसूरती से गाया है, अलबत्ता मदनमोहन की आवाज में यह गीत सचमुच लाजवाब बन पड़ा है। उन्होंने इस गीत में अपने हृदय की सारी पीड़ा यूं उंडेल दी है कि गीत बेबस मन की गहराइयों में उतर जाता है और उसकी गूंज देर तलक बनी रहती है। हिन्दी सिनेमा के महानतम संगीतकारों में एक मदनमोहन के गाये इस गीत का उन पुरुषों की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं है, जिन्हें भारतीय दण्ड विधान की धारा 498-ए ने प्रताड़ना और पीड़ा की अतल गहराइयों में धकेल दिया है, किन्तु मदनमोहन की भीगी-सी आवाज में गाया गया यह गीत फोर नाइंटी एट-ए से त्रस्त लाखों पुरुषों की अव्यक्त पीड़ा को बरबस व्यक्त करता प्रतीत होता है। आखिर क्या है ताजिरात-ए-हिन्द या भारतीय दण्ड विधान या इंडियन पीनल कोड की धारा 498-ए? इस धारा की पड़ताल से पहले हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से, जिनकी जिन्दगियों में इस धारा ने जहर घोल दिया है।

## पति नम्बर - एक

"मैं शादीशुदा हूं। सरकारी कर्मचारी हूं। अपने मां-बाप के साथ रहता हूं। मेरा छोटा भाई ट्रांसफर के बाद जब हमारे साथ रहने आया तो पिता ने हमें दूसरा कमरा देकर हमारा कमरा छोटे भाई को दे दिया। उस रोज शाम को मेरी पत्नी घर लौटते ही मेरे मां-बाप पर चिल्लाने लगी कि कमरा क्यों चेंज किया? उसने मेरी मां को गालियां दीं और अपना सामान व गहने लेकर मायके चली गई। अब मैं जब भी उससे बात करता हूं और वापस आने का आग्रह करता हूं तो कहती है कि हम अकेले रहेंगे। मेरे मां-बाप बूढ़े हैं और मैं इस उम्र में उनको नहीं छोड़ सकता। मेरी पत्नी शादी के बाद से ही अक्सर अपनी मां से मिलने जाती थी। उसका घर हमारे घर से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कभी मैं उसे टोकता था तो वह मुझे खुदकुशी करने की धमकी देती थी। वह प्रेग्नेंट है। अब उसके घर वाले अफवाह फैला रहे हैं कि हम उसे मारते थे और हमने उसे घर से बाहर फेंक दिया। वे लोग मेरे और मेरे परिजनों के खिलाफ दहेज-प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मुकदमा लिखवाने की धमकी दे रहे हैं। आप बताइये मैं क्या करूं। बहुत परेशान हूं।"

## पति नम्बर - दो

"शादी के बाद पत्नी ने मुझसे कहा, 'तुम हैंडसम नहीं हो, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, मैंने अपने भाइयों के डर से तुमसे शादी कर ली, उन्होंने तुम्हें चुना था।' यह बातें वह अपने घरवालों के सामने कभी नहीं कहती थी। उसने झूठा इल्जाम लगा कर मुझे धारा 498-ए के तहत दहेज प्रताड़ना के केस में फंसा दिया। मैं एक साल जेल में रहा। मैंने अपर कोर्ट में अपील की। कोर्ट की मध्यस्थता से हमारे बीच समझौता हुआ। अब मैं अपनी पत्नी और उसके मां-बाप के साथ उसी के घर में रहता हूं। मेरी पत्नी मेरी उपेक्षा करती है। वह मुझ पर चिल्लाती है, गालियां देती है और मेरी सारी तनख्वाह ले लेती है। मैं अपने मां-बाप का इकलौता बेटा हूं। वह मेरे घर में मेरे मां-बाप के साथ नहीं रहना चाहती। उसकी मां और भाई मुझे धमकाते हैं और कहते हैं कि मैं उसके साथ ही रहूं, नहीं तो वह फिर 498-ए के तहत शिकायत करेंगे और मुझे जेल भिजवा देंगे। मैं कैसे इससे बाहर निकलूं?"

## पति नम्बर - तीन

"मैं अनुसूचित जाति का हूं। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसको इस बात का बड़ा गुमान भी था, जबकि मैं साधारण दिखने वाला दुबला-पतला व्यक्ति हूं। शादी के कुछ सालों तक तो सब ठीक रहा। मेरे दो बच्चे हुए एक लड़की और एक लड़का। मेरी पत्नी अक्सर अपने मायके जाया करती थी। वहां उसका एक लड़के से अफेयर हो गया। मुझे पता चला तो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वह नहीं मानी। उसने मुझसे साफ कह दिया कि वह मुझे अपने लायक नहीं समझती और उस लड़के से सम्बन्ध नहीं तोड़ेगी। बढ़ते बढ़ते बात हमारे पूरे परिवार को मालूम हो गई। इसके बाद तो वह और नंगई पर उतर आयी। खुलेआम उस लड़के से मिलने लगी, कई कई दिन घर से गायब रहने लगी। मैं शुरू से अपनी आमदनी हर माह उसके हाथ पर रखता था। बाद में मैंने तनख्वाह अपनी मां को देनी शुरू कर दी। इससे चिढ़ कर एक दिन वह मेरे दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और वहां उसने मेरे और मेरे मां-बाप व छोटी बहन के खिलाफ थाने में

शर्म और दर्द का सबूतः ससुरालियों के हाथों बेतरह पीटा गया पति।

दहेज-प्रताड़ना और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक दिन अचानक पुलिस वाले आये और मुझे व मेरे मां-बाप को गिरफ्तार करके ले गये। बहन कोचिंग गई हुई थी सो बच गई। मेरे मां-बाप को तो दो हफ्ते बाद जमानत मिल गई, लेकिन मुझे 14 महीने जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े। मैंने पहली बार यह सब देखा था। जेल में मेरी तबियत अक्सर खराब रहती थी। वहां का खाना हलक से नहीं उतरता था। मानसिक कष्ट से भूख भी बिल्कुल खत्म हो गई। 14 महीने के बाद जब मैं जेल से छूटा तो पापा ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। मेरी आतों में जगह जगह गिल्टियां-सी पड़ गई थीं। मेरा कई महीनों तक इलाज चला। इस बात को हुए अब कई साल बीत चुके हैं। मेरी पत्नी ने मेरे दोनों बच्चे मेरे हवाले कर दिये हैं और मुझसे तलाक लिए बिना आराम से अपने प्रेमी के साथ उसकी पत्नी बन कर उसके घर में रह रही है। उससे उसको एक बच्चा भी है। मेरी पूरी जिन्दगी खत्म हो चुकी है। सिर्फ अपने बच्चों का मुंह देख कर जिन्दा हूं। जेल के दिन याद आ जाते हैं तो डिप्रेशन में चला जाता हूं। अभी तक उस त्रासदी से उबर नही पाया हूं।''

### पति नम्बर - चार

''मेरी पत्नी मां नहीं बन सकती क्योंकि उसके दोनों साइड की ओवरीज नहीं हैं। मेडिकल रिपोर्ट में उसके यूटेरस का साइज भी बहुत छोटा है। इसलिए मैं उससे तलाक लेना चाहता हूं। मेरे हस्ताक्षर से पारिवारिक कोर्ट में मेरी पत्नी के खिलाफ एक केस चल रहा है, जिसकी पहली तारीख 22 अगस्त 2009 की लगी थी, लेकिन इस बीच मेरे खिलाफ मेरी पत्नी ने एक एफआईआर धारा 498-ए, 323, 509 के तहत और सेक्शन 3/4 दहेज उत्पीड़न की लिखवा दी है। हम बहुत डरे हुए हैं इस केस से। प्लीज मुझे सलाह दें कि मुझे इस केस के खिलाफ क्या करना है।''

यह एकाध कहानियां नहीं हैं। इस तरह की कहानियों की संख्या अब लाखों में हैं। डर और शर्म से भरे पतियों ने अपनी शादीशुदा जिन्दगी की कड़वी सच्चाइयां जब 'इंडिया न्यूज' के साथ बांटीं तो उनकी आपबीतियां सुन कर रूह थर्रा गई। अबला नारियों और दहेज पीड़िताओं को ससुरालियों के जुल्म से बचाने और उबारने के लिए 25 साल पहले बने दहेज-प्रताड़ना कानून की धारा 498-ए आज सबला पत्नियों के हाथ का ऐसा खूनी औजार बन चुका है, जिसकी मार से पति ही नहीं, उसके मां-बाप, भाई-बहनों से लेकर दूरदराज के रिश्तेदार भी भय से थर-थर कांप रहे हैं। आज इस कानून का सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है।

भारतीय समाज जहां लड़की आंसू बहाए तो कहा जाता है - अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी... और इन पंक्तियों पर हम कोई आश्चर्य भी व्यक्त नहीं करते, क्योंकि शुरू से भारतीय नारी की यही छवि निर्मित की जाती रही है, लेकिन कोई लड़का अगर किसी से कहे कि वह रोज अपनी बीवी के हाथों पिटता है, गालियां खाता है, प्रताड़ित होता है, रात के सन्नाटे में मुंह दबा कर घंटों रोता रहता है, तो हम आश्चर्य करते हैं, विश्वास नहीं करते उसकी बात पर, आमतौर पर ठठा कर हंस देते हैं और उसका मजाक बना कर उसे अपने मनोरंजन का माध्यम बना लेते हैं। बचपन से लड़कों के दिल-दिमाग में एक बात ठोंक-ठोंक कर बिठा दी जाती है कि तुम मर्द हो और मर्द को दर्द नहीं होता। लिहाजा लाख दर्द हो, लाख तकलीफें हों, सार्वजनिक रूप से मर्दों को रोते नहीं पाया जाता। हां, औरतें जरूर छोटी-छोटी सी बातों पर दहाड़े मार मार कर, हाथ-पैर पटक-पटक कर रोती देखी जा सकती हैं, जबकि हकीकत यह है कि आज न जाने ऐसे कितने मर्द हैं, जो पैसा कमाने और परिवार का पेट पालने की चिन्ता में एक ओर तो बाहर नौकरी या व्यवसाय की चक्की में पिस रहे हैं तो दूसरी ओर घर की चहारदीवारी में सुख और सुकून की बजाय घोर नरक भोग रहे हैं, लेकिन उनके सामने मुश्किल यह है कि शर्म और समाज में उपहास का पात्र बन जाने के भय से कभी किसी के सामने अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते।

मजाक के लिए तराशा गया जुमला - 'मुझे मेरी बीवी से बचाओ', आज समाज की विद्रूप हकीकत बन चुका है। पत्नी की प्रताड़ना से छटपटाता पति उस वक्त बेहद कठिन परिस्थितियों में घिर जाता है, जब रोज-रोज की कलह से मुक्ति पाने के लिए वह तलाक का रास्ता चुनता है या फिर पत्नी से विवाद दूर करने की चेष्टा में मदद के लिए परिवार परामर्श केंद्र या पारिवारिक कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और इससे चिढ़ कर दबंग पत्नी उसे भारतीय दंड संहिता की संगीन आपराधिक धाराओं के तहत फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल पहुंचा देती है।

एक आंकड़े के अनुसार धारा 498-ए के तहत दर्ज दहेज-प्रताड़ना मामलों में से 90 फीसदी मामले फर्जी पाये गये हैं। आमतौर पर जहां भी शादी के बाद लड़की की महत्वाकांक्षाएं या उसकी पति से अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं या वह पति के साथ एडजेस्ट नहीं हो पाती है तो प्रतिक्रिया स्वरूप घर में लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं। यह झगड़े सिर्फ पति से ही नहीं, उसके मां-बाप, भाई-बहनों से भी होने लगते हैं। लड़की इन झगड़ों में अपने परिजनों को भी शामिल कर लेती है और उनकी लगाई-बुझाई में मामला सुलझने की बजाए बिगड़ता चला जाता है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं होता और अक्सर होता यह है कि लड़की गहने कपड़े समेट कर कभी खुद मायके चली जाती है, कभी परिजन आकर लिवा ले जाते हैं। मायके में परिजनों की शह पाकर पति पर अपनी चिढ़ निकालने, पैसा उगाहने और बदला लेने की नीयत से लड़की पति और ससुरालियों पर झूठे आरोप मढ़ कर स्थानीय थाने पर दहेज-प्रताड़ना या घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा देती है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसे तत्काल कोई सबूत उपलब्ध कराने की भी जरूरत नहीं होती है। धारा 498-ए के तहत दर्ज अपराध (पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना) चूंकि गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाता है, लिहाजा पुलिस को भी तुरंत एक्शन लेना पड़ता है और एफआईआर में जितने लोगों के नाम लड़की लिखवाती है, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजना पुलिस की मजबूरी होती है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं के हितों को बचाने के लिए बने इस कानून का आज महिलाएं बेतरह दुरुपयोग कर रही हैं। गौरतलब है कि पति और उसके परिजनों को प्रताड़ित करने की नीयत से लड़की पक्ष द्वारा दर्ज कराये जाने वाले फर्जी मुकदमों में पति के नाबालिग भाई-बहनों तक के नाम लड़की पक्ष लिखवा देता है, लिहाजा पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज देती है।

एक आंकड़े के अनुसार देश भर में दर्ज दहेज प्रताड़ना मामलों में प्री और पोस्ट ट्रायल में गिरफ्तार लोगों में से 94 फीसदी लोग दोषी नहीं पाए गये। पिछले सात सालों में उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में ही

## महिला हितों के कानून और उनका दुरुपयोग

**आईपीसी की धारा 498-ए**

अगर महिला को उसका पति या पति के रिश्तेदार दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं तो उन्हें तीन साल की कैद हो सकती है। इसमें दूर के रिश्तेदार जैसे शादीशुदा बहन का पति (चाहे वह वहां रहता हो या नहीं) भी हो सकता है। यह संज्ञेय अपराध है। मतलब बिना कोर्ट के आदेश के पुलिस एफआईआर में दर्ज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। यह गैर जमानती धारा है। इसमें कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है।

**कैसे होता है 498-ए का दुरुपयोग**

पुलिस बिना जांच के नामजद लोगों को गिरफ्तार करती है। ससुराल वालों को परेशान करने के लिए लड़की-पक्ष सबका नाम एफआईआर में डलवा देता है, जिसमें परिवार के नाबालिग बच्चे तक शामिल होते हैं। एफआईआर करवाने वाले जमानत का विरोध न करने की एवज में लड़के से मनचाही रकम वसूलते हैं। पैसा वसूलने में पुलिस भी पीछे नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में तो स्टेट अमेंडमेंट है कि अंतरिम जमानत नहीं मिल सकती।

**कैसे रुकेगा 498-ए का दुरुपयोग**

आरोपियों की गिरफ्तारी तब तक न हो जब तक लड़की-पक्ष अपनी शिकायत के सपोर्ट में सबूत या साक्ष्य उपलब्ध न करा दे। एफआईआर में जो आरोप लड़के और उसके परिजनों पर लगाए जा रहे हैं, उन्हें साबित करने के लिए लड़की पक्ष से दो गवाह या डॉक्यूमेंट एफआईआर करते वक्त ही मांगे जाएं। अभी आरोप लगाना भर ही गिरफ्तारी के लिए काफी माना जाता है। हालांकि उत्तरांचल जैसे कुछ राज्यों में प्रशासनिक स्तर पर बिना ऑर्डर या नोटिस के इसे फॉलो किया जा रहा है। एफआईआर करने वाले को एफआईआर में शामिल लोगों से कोई रकम न दिलाई जाये। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जजमेंट पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि एफआईआर में लाखों रुपये दहेज में देने के आरोप की जांच पुलिस करे। अरेस्ट करने के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी की रिकमेंडेशन लें। किसी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करें तो उससे पहले भी रिकमेंडेशन लें।

**घरेलू हिंसा एक्ट 2005**

इसमें महिला अपने साथ हुए शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक या यौन सम्बन्धी उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। वह कोर्ट से संरक्षण, रहने के अधिकार, बच्चे की कस्टडी और मेंटिनेंस को लेकर ऑर्डर मांग सकती है। यह संज्ञेय या असंज्ञेय के तहत नहीं आता। कोई भी महिला पुलिस से, कोर्ट से या प्रोटेक्शन अधिकारी से शिकायत कर सकती है। इसमें स्पीडी ट्रायल होता है। कोर्ट 60 दिनों के भीतर केस खत्म करने की कोशिश करता है।

**कैसे होता है घरेलू हिंसा एक्ट 2005 का दुरुपयोग**

कोई लड़की यह शिकायत करके कि उसे ससुरालियों ने मारा पीटा और घर से निकाल दिया, वह कोर्ट से रहने के अधिकार की मांग कर सकती है। झूठे आरोप लगाकर कोई भी महिला ससुरालवालों को घर से बाहर निकलवा सकती है। भावनात्मक उत्पीड़न का आरोप लगा सकती है, जिसको मापने का कोई पैमाना नहीं होता है।

**कैसे रुकेगा घरेलू हिंसा एक्ट 2005 का दुरुपयोग**

यह कानून अमेरिका के कानून की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन वहां ये कानून जेंडर न्यूट्रल है। वहां बिना जांच पड़ताल और बिना सबूत के कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हमारे कानून में इसका जिक्र नहीं है कि ससुरालियों द्वारा मारपीट या भावनात्मक उत्पीड़न की जांच किस तरह हो। दुरुपयोग रोकने के लिए जांच की एक प्रक्रिया बनायी जानी चाहिए और यह एक्ट महिला एवं पुरुष दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए।

## दहेज कानून में सुधार की जरूरत है

शांति भूषण
पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री

'यह बिल्कुल साफ है कि दहेज के लिए लड़कियों का उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन जब तक पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। पुलिस भ्रष्ट है, जिसके चलते इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। वैसे अदालतों का रवैया बदला है। समझदार और होशियार जज दहेज के असली और फर्जी मामले के बीच फर्क कर लेते हैं। फिर भी, फर्जी मामलों में बेकसूरों को परेशान होना पड़ता है। दहेज कानून की आड़ में लड़की, लड़के के पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है। असली मामलों में ज्यादातर बात लड़के-लड़की और परिवार के कुछ लोगों के बीच की होती है। ऐसे मामले अपवाद ही होते हैं, जब पूरा परिवार लड़की को परेशान करने में शामिल हो। ऐसे मामलों में अदालत को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। सेक्शन 498-ए में जरूरी तब्दीलियां की जानी चाहिए। इसे जमानती बनाया जा सकता है। पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने का फिलहाल कोई तुक नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले 50-60 वर्षों में इसकी जरूरत पड़े। घरेलू हिंसा एक्ट मुझे ठीक लगता है। इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। पढ़े-लिखे और खुद को सोफेस्टिकेटेड दिखाने वाले पुरुष भी घरेलू हिंसा करते हैं। इसी तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल भी ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई महिला किसी पुरुष को सेक्सुअली हैरेस करती है।'

## कानून का दुरुपयोग और पुरुषों पर जुल्म हो रहे हैं

गुरुदर्शन सिंह
फाउंडर मेम्बर, एसएफएफ

'दरअसल लड़कियां जब पैसा देखकर शादी करती हैं तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ी-चढ़ी होती हैं और जब पति उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता या काम की अधिकता से उनको ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, तभी दिक्कतें शुरू होती हैं और रोज-रोज के झगड़े में पति भी रिएक्ट करता है। इसके बाद तो पत्नियों के पास पति को सबक सिखाने का बड़ा अच्छा हथियार होता है धारा 498-ए। ज्यूडिशयरी ने अब तक दर्ज मामलों में करीब 90 फीसदी मामले फर्जी पाये हैं। सच्चे केसेज बेहद कम होते हैं। 25 साल पहले बना यह कानून दरअसल आज आउटडेटेड हो चुका है। अब लड़कियां लड़कों की तरह शिक्षित हैं, काम कर रही हैं, उनको कानूनों और उनके सदुपयोग-दुरुपयोग की समझ है, समाज का स्वरूप काफी बदल चुका है और कानून वही पुराने हैं। कामकाजी या आर्थिक रूप से मजबूत पत्नी पति की खुशी से पहले अपनी खुशी पूरी करने की इच्छुक होती है। वह पति को अपने इशारे पर नचाना चाहती है, अपने काबू में रखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि इस समाज में लड़कियों के साथ हादसे नहीं हो रहे हैं, जरूर हो रहे हैं, लेकिन पुरुषों पर भी बहुत जुल्म हो रहे हैं, जिनके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठती। बहुत जरूरी है कि दहेज प्रताड़ना कानूनों में बदलाव हो और पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाए।'

आवरण कथा

## ऋषि जैन : मीडिया को पुरुषों की पीड़ा सामने लानी चाहिए

मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। मेरी शादी नवम्बर 2003 में हुई थी। शादी के वक्त मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मेरा अपना गोल्ड और डायमंड जूलरी का मैनुफैक्चरिंग यूनिट था। यही सब देख कर लड़की वालों ने शादी की थी। शादी के एक साल तक सब बहुत अच्छा रहा। मेरी एक बेटी भी हुई, लेकिन उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई। फैक्ट्री में कई घाटे हुए। फैक्ट्री बंद हो गई। मुझे मेरा मकान तक बेचना पड़ गया। मेरी स्थिति बिगड़ने के बाद मेरी पत्नी मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पायी। मेरे घर में सिर्फ मेरी मां ही थी, जिससे मेरी पत्नी ने लड़ना-झगड़ना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी का भाई वकील है, सो वह भी मुझे और मेरी मां को डराने-धमकाने लगा। शादी को डेढ़ साल हुआ था कि जुलाई 2005 में मेरी पत्नी अपने मायके गाजियाबाद चली गई। फिर वह वापस नहीं आयी। मैंने उसके परिजनों से कहा कि यदि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती और उसे लगता है कि हमारी आपस में नहीं बन सकती, तो तलाक ले ले। मेरी पत्नी राजी हो गई। हमने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस बीच उसने मेंटेनेंस के लिए एक केस मेरे खिलाफ डाल दिया। मेरी बेटी उसके पास थी। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता था, लेकिन वे लोग मुझे मिलने नहीं देते थे। तो मैंने बच्चे से विजिटिंग राइट के लिए कोर्ट से आग्रह किया। इससे चिढ़ कर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केस दर्ज कराने शुरू कर दिये। पहले दहेज प्रताड़ना 498-ए और बाद में 7-8 काउंटर केसेज मेरे ऊपर ठोंक दिये गये। इसके साथ ही उसने मुझे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया कि मैं उसे 25 लाख रुपये दूं, नहीं तो वह बेल नहीं लेने देगी, आपत्ति-अर्जी दाखिल कर देगी। जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उसने मेरे अन्य परिजनों को, जो मेरे साथ भी नहीं रहते, उनके नाम भी केसेज में डलवा दिये। खैर, जिस विवेचनाधिकारी ने 498-ए केस की विवेचना की, उसने तमाम आरोपों को गलत पाया और हमें इनोसेंट डिक्लेयर करके केस खत्म कर दिया। जब मेरी पत्नी के भाई ने देखा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा तो उसने मेरे और मेरी बहन जो पंजाब में ब्याही है, उसके पति के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। फरवरी 2008 में उसने इस मामले में मुझे 6 दिन के लिए जेल भी भिजवा दिया। यह सारे केस वह गाजियाबाद में दर्ज करवाती थी। अभी भी मेरे ऊपर 14 मुकदमे लदे हैं, जिसकी वजह से मेरी नौकरी भी छूट गई। मैंने अपनी मजबूरियों और अपनी बच्ची की खातिर एक बार फिर अपनी पत्नी से कॉम्प्रमाइज की कोशिश की। कोर्ट के माध्यम से मैंने समझौते की पेशकश की। खैर, कोर्ट के द्वारा समझौते के तहत अभी दो माह पहले मैं उसे और अपनी बच्ची को अपने घर लेकर आया हूं। पर मेरी पत्नी के रवैये में कोई अन्तर नहीं आया है। सिर्फ बच्ची की खातिर ही वह मेरे साथ रह रही है। उसके तल्ख व्यवहार के कारण मेरे सिर पर हर वक्त तलवार लटकी रहती है। मेरी मां 62 साल की हैं। हार्ट-पेशेंट हैं, बहू के व्यवहार से हर वक्त डरी-सहमी सी रहती हैं। घर में जो नरक जैसे हालात हैं वह मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे साथ रहने के बावजूद उसने कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया है। अटेम्प्ट टू मर्डर का क्रिमिनल केस भी वापस लेने को तैयार नहीं है। मैं बेहद परेशान हूं। मीडिया को यह बातें सामने लानी चाहिएं कि लड़कियां किस तरह झूठ बोलती हैं, प्रताड़ित करती हैं और कैसे झूठे मामलों में फंसाती हैं।

दहेज-प्रताड़ना कानून के तहत दर्ज मुकदमों में 1000 नाबालिग लड़कियां बिना किसी जांच के गिरफ्तार की गईं। उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों को जमानत कोर्ट से ही मिल पाती है, लेकिन कभी कभी उसमें महीनों या साल भी लग जाते हैं। परेशान करने की नीयत से फर्जी मुकदमों के तहत जेल जाने वाले न जाने कितने निर्दोष पति आज न सिर्फ अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, दहेज-प्रताड़ना के आरोप में अपनी सामाजिक इज्जत भी गंवा चुके हैं। न जाने कितने बीमार और बूढ़े मां-बाप आज बहू की बदनीयती और पैसे की लालच के चलते उम्र के अन्तिम पड़ाव में जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। चूंकि इस धारा के अन्तर्गत जेल गये लोगों को जमानत कोर्ट से मिलती है, लिहाजा इसमें भी कभी कभी पति को ब्लैकमेल कर पैसा पाने की लालच में लड़की की तरफ से उसका वकील कोर्ट में आरोपियों की जमानत पर आपत्ति दाखिल कर देता है, और लड़के से कहा जाता है कि इतने लाख रुपये दो, तो आपत्ति वापिस लेंगे, सो कई बार इन वजहों से जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाती है।

धारा 498-ए के दुरुपयोग में इससे भी ज्यादा संगीन बात यह है कि जब कोई लड़की पति को पूरी तरह तबाह करने की जिद पर उतरती है तो वह दहेज प्रताड़ना एक्ट की धारा 498-ए के साथ-साथ घरेलू हिंसा एक्ट, तीन सेक्शन - 125 सीआरपीसी, 24 हिन्दू मैरिज एक्ट और एलेमनी हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा, धारा 323 और 506 के तहत पति और उसके परिजनों द्वारा जान से मारने की धमकी या कोशिश का मुकदमा, जला कर मारने की कोशिश का मुकदमा, पति और उसके परिजनों द्वारा लड़की से मारपीट के लिए धारा 34 व 323 जैसे तमाम फर्जी आपराधिक मुकदमे भी पति और उसके परिजनों पर ठोंक देती है। इस तरह पारिवारिक विवाद का सिविल कोर्ट में शुरू हुआ मुकदमा आपराधिक मुकदमा बन कर क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच जाता है और फिर आरम्भ होता है स्वयं लड़की, लड़की के परिजनों, लड़की के वकीलों, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं के कथित समाजसेवियों द्वारा पति-पक्ष से पैसे उगाहने का सिलसिला, हर तारीख पर मोल-भाव और ब्लैकमेलिंग। यह सारी चीजें मिल कर पति और उसके परिवार को न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाही की कगार पर खड़ा कर देती हैं, बल्कि जहां कहीं पति-पत्नी के बीच बच्चे होते हैं, वहां अपने बच्चों की एक झलक पाने को तरसने वाला पुरुष भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। अधिकांश मामलों में बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते हैं। कई केसेज में देखा गया है कि अपने बच्चे से मिलने के लिए भी पुरुष लड़की-पक्ष को पैसा देता है।

कहना गलत न होगा कि आज 498-ए एक ऐसा कानून बन कर रह गया है, जिसकी मदद से, जिसका दुरुपयोग करके भारतीय महिला अपने पति का बड़ी आसानी से उत्पीड़न कर सकती है। लड़कियां अपने पति और अन्य ससुरालीजनों के साथ कई कारणों से एडजेस्ट नहीं हो पातीं, जैसे- शादी उसकी पसन्द के पुरुष से न हुई हो, शादी से पहले वह किसी अन्य पुरुष से प्यार करती हो, उसके किसी अन्य पुरुष से शारीरिक या भावनात्मक ताल्लुकात हों, वह बदचलन हो, मानसिक तौर पर बीमार हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि में बहुत अन्तर हो, लालची प्रवृत्ति की हो, परिवार को और पति को अपने कंट्रोल में रखने की इच्छुक हो आदि आदि, तो ऐसे में लड़की न पति को प्यार दे पाती है, न ससुरालवालों को सम्मान। ज्यादा मनमुटाव पैदा होने की स्थिति में वह बड़ी आसानी से धारा 498-ए का इस्तेमाल करके पति और उसके परिजनों को जेल भिजवा देती है। इससे उसके अहं को संतुष्टि मिलती है। कभी कभी जब पति को अपनी पत्नी से पूरा प्यार और सहवास हासिल नहीं होता तो वह अपने जीवन की इस कमी को घर से बाहर दूसरी औरत से सम्बन्ध बनाकर पूरी करता है। इसका पता अगर पत्नी को लग जाए तो भी वह इस कानून का दुरुपयोग करके पति और उसके घरवालों पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा कर इसमें अपनी जीत समझती है। कभी कभी आपसी रिलेशन अच्छे न होने पर और पति पत्नी के दूसरे लोगों से सम्बन्ध हो जाने पर पत्नी अपने पति से सिर्फ पैसा चाहती है, लिहाजा वह इस कानून का दुरुपयोग करके पैसे हासिल करती है या फिर तलाक पाने के लिए भी इसका हथियार की तरह प्रयोग करती है।

आश्चर्य की बात है कि लाखों की तादात में फर्जी दहेज-प्रताड़ना के मामले देखे जाने के बावजूद न कभी कानूनविदों, स्वयंसेवी संस्थाओं का और न ही सरकार का ध्यान कभी पुरुषों की समस्याओं और उनकी पीड़ा की ओर गया। पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं या नहीं, इसे लेकर अब तक कोई सरकारी स्टडी नहीं हुई है। हाल ही में पीड़ित पतियों द्वारा पीड़ित पतियों की मदद के लिए इंटरनेट पर मौजूद एक संस्था 'सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन' और 'माई नेशन' ने इस दिशा में पहल की और उनकी स्टडी के मुताबिक 98 पर्सेंट भारतीय पति तीन साल की रिलेशनशिप में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा, धमकी और प्रताड़ना का सामना कर चुके हैं। इस ऑनलाइन स्टडी में शामिल लोगों में से 25.21 फीसदी शारीरिक, 22.18 फीसदी मौखिक एवं भावनात्मक, 32.79 फीसदी पति आर्थिक हिंसा के शिकार बने। 17.82 फीसदी पतियों को सेक्सुअल अब्यूज (यौन सम्बन्धी गाली) झेलना पड़ा। स्डडी रिपोर्ट में कहा गया है कि जब पुरुषों ने अपनी शादीशुदा जिन्दगी की समस्याओं तथा पत्नी के हाथों अपने और परिवार वालों के शोषण के बारे में किसी से बताना चाहा तो कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। उलटा सब उन पर हंसे। कई ने स्वीकार किया कि उन्हें किसी को यह बात बताने में शर्म आती है कि उनकी पत्नी उन्हें पीटती है। इस स्टडी में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। इसमें ज्यादातर मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार है तो कानून में उसे संरक्षण क्यों नहीं मिलता? विकसित देशों की तरह भारत में घरेलू हिंसा एक्ट महिला और पुरुष के लिए

**▸▸ पीड़ित पतियों का गोवा में सम्मेलन, जिसमें क्रिकेटर अनिल कुंबले की पत्नी चेतना के पूर्व पति कुमार जागीरदार भी शामिल हुए ( बायें से दूसरे )।**

## नीलाद्री शेखर दास : नौकरी भी दांव पर लग गई है

मैं कोलकाता का रहने वाला हूं और दिल्ली में एक प्राइवेट फर्म में डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं। मैं आईआईटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मेरी शादी वर्ष 1997 में हुई थी। शादी के आठ साल बाद समस्या शुरू हुई। मेरी बीवी अक्टूबर 2005 में भाईदूज के त्योहार पर अपने मायके कोलकाता गई। जब वह यहां थी तभी से उसने मुझे धमकियां वगैरह देनी शुरू कर दी थीं। जब वह कोलकाता गयी तो वहां से भी फोन पर धमकियां देती रही। वह मुझसे 50 लाख रुपया चाहती थी और कहती थी कि अगर मैंने इतना पैसा उसको नहीं दिया तो वह मुझे कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसा देगी। उस वक्त मैं कोर्ट-पुलिस वगैरह से अनभिज्ञ था। मैंने एक वकील से सलाह ली। उसने मुझे राय दी कि मैं थाने में एक अर्जी दे दूं कि मुझे इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। मैंने स्थानीय थाने में एक अर्जी दे दी। उसके बाद मेरी पत्नी ने कोलकाता में मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवायी। मुझे कोलकाता पुलिस ने बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो थाने का थानेदार भी मुझे डराने-धमकाने लगा और बोला कि मैं अपनी पत्नी को 50 लाख रुपया दे दूं नहीं तो वह मुझे जेल में डाल देगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने वकील से सलाह करके एक अर्जी कोर्ट में दी कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं और अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता। इससे नाराज हो कर मेरी पत्नी ने कोलकाता में मेरे खिलाफ 498-ए यानि दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। उसमें उसने मेरे पिता, जो कि लंदन से एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मेरी चाची वगैरह का नाम भी लिखवा दिया। गिरफ्तारी के डर से हमें अपने बूढ़े परिजनों को तुरंत घर से हटाना पड़ा। वह समय हमारे परिवार पर बहुत कठिन था। मुझे भी छुप छुप कर रहना पड़ा क्योंकि पुलिस कभी भी आ सकती थी और हमें अरेस्ट कर सकती थी। फाइनली हमने कोर्ट से बेल ले ली। इसके बाद मेरी पत्नी ने तलाक का मुकदमा फाइल कर दिया। अब वो तलाक भी चाहती है और साथ में 50 लाख रुपया भी। हमारा एक बेटा है जो कि उसी के साथ है। मैंने पिछले तीन साल से अपने बेटे की झलक भी नहीं देखी है। वह शर्त लगाती है कि वह मुझे मेरे बेटे से तभी मिलने देगी जब मैं 50 लाख रुपया दूंगा। इस बीच उसने सेक्शन 24 दायर करके 2 लाख रुपया कोर्ट-कचहरी के खर्च के रूप में मांगा। कोर्ट ने मुझे पचपन हजार रुपया देने को कहा, जो मैंने दे दिया। फिलवक्त मुझ पर 498-ए और सेक्शन 24 जारी है, जिसमें मेरे साथ मेरे पिता और अन्य परिजनों को आरोपी बना रखा है। हमें उम्मीद तो है कि अन्त में कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन पिछले कई साल से हम सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद प्रताड़ित हैं, नौकरी भी दांव पर लग गई है। वकील सिर्फ पैसे बना रहे हैं। पिछले तीन साल से मैं यही सब झेल रहा हूं।

आवरण कथा

## राजेश ओझा : कदम कदम पर लुट रहे हैं

"मेरी शादी फरवरी 2001 में हुई थी। शादी के बाद सब ठीक से चल रहा था। मेरे दो बेटे हुए, पहला 2002 में और दूसरा 2003 में। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। मेरी पत्नी के परिजन पहले से ही मुझसे पैसे मांगा करते थे और मै भी जब तब उनको पैसे देता रहता था। जब तक मैंने पैसे दिये तब तक सब ठीक चला, जैसे ही मैंने पैसे देने बंद किये पत्नी से मेरे झगड़े शुरू हो गये। दरअसल मेरे ससुर रिटायर हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं और उन्हें अपनी दूसरी बेटी की भी शादी करनी है तो वह मुझसे 2 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे। पर मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाने से मुझे भी पैसे की तंगी थी। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो पत्नी मुझे धमकी देने लगी और आखिरकार वह अपने मायके चली गई। वर्ष 2004 में उसने मेरे खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। इसके बाद सुलह समझौते का दौर चला। उसके पिता ने मेरे पिता से कहा कि मै उनके नाम अपना मकान लिख दूं, तो वह अपनी बेटी को भेज देंगे। इस बात का लिखित प्रमाण मेरे पास है। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। मुकदमे के विवेचनाधिकारी को भी उनकी इस मांग पर बड़ा आश्चर्य हुआ था। जब उनकी यह बात नहीं बनी तो उन्होंने मेरी पत्नी को वापस भेजने के लिए दूसरी शर्त रखी कि मै अपनी पत्नी के नाम अलग मकान खरीदूं। मैंने कहा ठीक है मै कोशिश करूंगा। मेरे आश्वासन के बाद वर्ष 2005 में वह मेरे घर लौट आयी, लेकिन इसके बाद हमारे घर में कलेश बढ़ता ही गया। मेरे घरवालों ने तंग आकर मुझसे कह दिया कि मैं अलग मकान लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहूं क्योंकि हम रोज-रोज धमकी नहीं सुन सकते और न ही किसी तरह का संकट मोल ले सकते हैं। मेरी पत्नी ने अपनी दहेज प्रताड़ना की एफआईआर में पहले ही मेरे साथ मेरी मां का नाम भी दर्ज करा रखा था। लिहाजा, मैं अलग मकान लेकर रहने लगा, लेकिन मेरे उस घर में भी मेरे ससुर की दखलंदाजी और पैसे की डिमांड शुरू हो गई। फिर 2006 में मेरी पत्नी दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ कर अपने मायके चली गई। बच्चे छोटे थे। मुझे नौकरी भी करनी थी और बच्चे भी देखने थे। मै दोनों चीजें कर नहीं पा रहा था। मुझे लोगों ने समझाया कि मैं बच्चे अपनी पत्नी के पास भेज दूं। मैंने ऐसा ही किया। अब वह मेरे बच्चों को मुझसे मिलने भी नहीं देती। दहेज प्रताड़ना 498-ए के अलावा उसने मेरे ऊपर धारा 125 भी लगवा दी है। जब मैंने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया तो उसने मेरे ऊपर 506 यानि जान से मारने की धमकी, 341 और न जाने कौन-कौन से क्रिमिनल केसेज ठोंक दिये। उसके बाद तो वह कहने लगी कि तुम मुझे 50 लाख रुपया दो, नहीं तो जमानत नहीं होने दूंगी। बड़ी मुश्किल से अभी मुझे एक लाख रुपये की कंडिशनल बेल मिली है। अभी हाईकोर्ट में मेरा मुकदमा चल रहा है। कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। शादी का दसवां साल है, लेकिन शादीशुदा जिन्दगी में खुशियों के चंद पल भी नसीब नहीं हुए। बच्चों की बहुत याद आती है।

जब केस लगा था और शुरू शुरू में पुलिस हमारे घर पर धमकती थी तो हम सब डर जाया करते थे, पर अब लड़ते लड़ते थोड़ा मजबूत हो गये हैं। हम देख रहे हैं कि डाउरी-लॉ में औरतों के फेवर में ही सबकुछ है, हमारे हक में तो कुछ है ही नहीं। मेरी पत्नी जब घर से गई तो अपने गहने भी ले गई, पैसे भी ले गई और मेरे ऊपर दहेज-प्रताड़ना का मुकदमा भी लगा दिया। दूसरी बार आई तो तमाम सामान ले गई। हमने बेल ली, तो उसमें भी हमें पैसे देने पड़े। बच्चे भी छीन लिये गये। अब जो बची हुई नौकरी है, 125 का केस डाल कर उसमें से भी पैसे ले जाती है। हम तो कदम कदम पर लूटे ही जा रहे हैं।

बराबर क्यों नहीं है?

सेव फैमिली फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य गुरुदर्शन सिंह कहते हैं, "एंटी डाउरी एक्ट (आईपीसी 498-ए) व डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट जैसे कानून पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सबके मौलिक मानवाधिकार का हनन करते हैं व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। न्याय का सिद्धान्त न तो किसी पूर्वाग्रह पर आधारित होता है और न ही किसी जेंडर को अडिशनल स्पेस देता है। राष्ट्रपति और भारत के चीफ जस्टिस भी स्वीकार कर चुके हैं कि एंटी डाउरी लॉ का मिसयूज हो रहा है। हमारी मांग है कि सबसे पहले 498-ए को जमानती और असंज्ञेय बनाया जाए, ताकि आरोपियों को तुरंत जमानत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो और इससे सम्बन्धित मसलों का ट्रायल सिविल कोर्ट में ही हो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, रेप कानून और एसिड अटैक जैसे कानून भी जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। ऐसा तंत्र बने जिसमें गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। इसी के साथ जिस तरह महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए महिला आयोग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग इत्यादि हैं, उसी तरह पुरुषों के कल्याण के लिए भी अलग से मंत्रालय बने।"

धारा 498-ए की धार कुंद करने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। अदालतों में बढ़ते जा रहे फर्जी दहेज प्रताड़ना के मामले अब चिन्ता का सबब बन रहे हैं। चार साल पहले पत्नियों द्वारा पीड़ित तीन लड़कों ने आपस में मिल कर इंटरनेट के जरिए उन लोगों से सम्पर्क साधने की कोशिश की, जिनकी जिन्दगियां उनकी पत्नियों के हाथों तबाह हो चुकी थीं। इन तीनों लड़कों में एक थे साफ्टवेयर इंजीनियर आशीष मुखी, दूसरे टेलिकॉम इंजीनियर गुरुदर्शन सिंह और तीसरे टैक्सटाइल इंजीनियर स्वरूप सरकार। इन तीनों के मिलने की कहानी भी खासी दिलचस्प है। पत्नी के हाथों बर्बाद हो चुके स्वरूप सरकार ने एक रोज भावुक होकर अपनी आपबीती लिख कर इंटरनेट पर याहू ग्रुप अन्तर्गत डाली तो उसके जवाब में आशीष मुखी और गुरुदर्शन सिंह ने भी अपनी आपबीतियां उनसे शेयर कीं। इसके बाद इंटरनेट पर ही इन तीनों पीड़ित-पतियों की आपस में दोस्ती हो गई और इन्होंने एकदूसरे से मिलने की तारीख तय की। गुरुदर्शन सिंह बताते हैं, "हम तीनों की कहानियां मिलती-जुलती थीं। हम अपनी शादीशुदा जिन्दगी में बहुत कठिन दौर से गुजर चुके थे, बेहद टूटे हुए थे। जब मैंने आशीष और स्वरूप की कहानी नेट पर पढ़ी तो बड़ा सहारा मिला और लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। हमने मिलने की जगह तय की। अगले इतवार हम कनॉट प्लेस दिल्ली में स्थित होस्ट रेस्टोरेंट में मिले। हम तीनों ही निर्दोष थे और उस गुनाह की सजा भुगत चुके थे जो हमने कभी किया ही नहीं था, लिहाजा हमने तय किया कि जिस कानून ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम उस कानून में बदलाव लाने के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे। हमने हर इतवार मिलने की बात तय की। अगले इतवार जब हम मिले तो हमारे साथ दो और पत्नी-पीड़ित जुड़ चुके थे। इसके बाद तो लोग बढ़ते ही चले गये। जिस पत्नी-पीड़ित ने सुना कि हम इस कानून में बदलाव लाने के लिए कमर कस रहे हैं, वही हमसे जुड़ गया। जब हमारी संख्या 15 के करीब हो गई तो हमने 'मिसयूज ऑफ 498-ए याहू ग्रुप' नाम से एक ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी। एक महीने के अन्दर अन्दर हमारे 50 से ज्यादा ऑनलाइन मेम्बर्स बन गये जो इस कानून और इससे जुड़े अन्य कानूनों के मकड़जाल में फंसे हुए थे। काफी लोग अमेरिका और मिडिल ईस्ट से थे, जिनकी शादियां भारतीय महिलाओं से हुई थीं और वे इस कानून का दुरुपयोग करके उनका शोषण कर रही थीं। इन तमाम लोगों पर दहेज-प्रताड़ना के केस दर्ज थे। पत्नी-पीड़ितों की बढ़ती संख्या देख कर हमने जुलाई 2005 में अपना पहला सेमिनार दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित किया। इस सेमिनार में देश भर से करीब 80 लोग आये, जिसमें से दो - पांडुराम कट्टी और अनिल बेंगलुरु से आये थे। अनिल ने ही बेंगलुरु वापस लौट कर 'सेव इंडियन फैमिली' का लोकल चैप्टर लॉन्च किया। इस सेमिनार के बाद से ही हमें मीडिया कवरेज मिलना भी शुरू हो गया। वर्ष 2006 में हमने औपचारिक रूप से अपनी संस्था 'सेव फैमिली फाउंडेशन' का दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाया।"

लगभग चार साल पहले इन तीन पत्नी-पीड़ितों की कोशिश से शुरू हुए इस ग्रुप में आज दुनिया भर से एक लाख से ज्यादा एक्टिव मेम्बर्स हैं। चूंकि यह ग्रुप ऑनलाइन शुरू हुआ था तो शुरू के दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के ही ज्यादा लोग इस संस्था से जुड़े, जिसमें मैनेजमेंट, आईटी, टेलिकॉम, बैंकिंग, इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेट्स सभी फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, लेकिन बाद में जब प्रिंट मीडिया के द्वारा जनजागरूकता फैली तो दूर-दराज के गांवों-कस्बों से भी लोग आ-आकर अपना दुःख बांटने लगे और दूसरे के अनुभवों और सहारे से कानूनी दांव-पेंच से निकलने के दांव-पेंच सीखने लगे। गुरुदर्शन कहते हैं, "सेव फैमिली फाउंडेशन से सिर्फ दिल्ली और एनसीआर से ही 5 लाख ऐसे लोग जुड़े हैं जो कथित तौर पर पत्नियों के पक्ष में बने इस एकतरफा कानून (498-ए और घरेलू हिंसा कानून) का शिकार हैं या इसके तहत जेल भोग चुके हैं।"

उल्लेखनीय है कि देश में पीड़ित पतियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक संस्था द्वारा ही दिल्ली में हर हफ्ते हो रही मीटिंग में हर बार 5-7 नये पीड़ित किसी न किसी परेशानी को लेकर इससे जुड़ रहे हैं। इसको देखते हुए देश भर में फैली इस

**15 अगस्त को पीड़ित पतियों ने स्वतंत्रता-दिवस पारंपरिक रूप से न मना कर शिमला में सम्मेलन कर मांग की कि पहले उन्हें 498-ए से मुक्त किया जाए।**

## कृष्ण गोपाल : पत्नी ने मुझ पर रेप का झूठा चार्ज भी लगा दिया

"मैं सोनीपत का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी फरीदाबाद की है। मेरी शादी 3 फरवरी 2008 को हुई थी। शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे साथ मात्र ढाई-तीन महीने ही रही। शादी के बाद से ही उसका रवैया कुछ अजीब सा था। वह अपने मायके जाने से पहले किसी से पूछती तक नहीं थी। बस सामान उठाया और निकल गयी। 31 जुलाई 2008 से वह मायके गई हुई थी। इस बीच मैंने फोन पर उसको मनाने और वापस बुलाने की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 22 मार्च 2009 को उसके घर से हमारे यहां 15 आदमी मेरी पत्नी के साथ आये। घर आकर उन्होंने सीधा मुझे धमकाया कि अगर मैंने अपनी पत्नी से कुछ भी पूछा तो वे मुझे जान से मार डालेंगे। मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूं। मेरे मां-बाप बूढ़े और बीमार हैं। हम लोग बुरी तरह डर गये। 24 मार्च को मैंने एसएसपी ऑफिस जाकर इन लोगों के आने और धमकी देने की बात उनसे बतायी और एक एप्लीकेशन दी कि मुझे इन लोगों से खतरा है। इधर मेरी पत्नी से मिलने के लिए अक्सर दो लड़के मेरे घर आने लगे। मेरी पत्नी उन दोनों को अपना भाई बताती थी। वे घर में घुस कर सीधे बेडरूम में चले जाते थे। जब मेरे पापा ने इस पर आपत्ति की तो उन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ जाकर सोनीपत के वुमेन सेल में एक शिकायत दर्ज करायी कि मैंने और मेरे दो दोस्तों ने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसे डराया-धमकाया। खैर, इस शिकायत की जांच हुई और झूठा पाये जाने पर बलात्कार की कोशिश की शिकायत तो खारिज हो गई, लेकिन जान से मारने की कोशिश यानि 506 का मुकदमा मेरे ऊपर लगा रहा। इसके बाद 8 अप्रैल 2009 को मेरी पत्नी के परिजनों ने फरीदाबाद में मेरे ऊपर दहेज-प्रताड़ना 498-ए का केस दर्ज करवा दिया। उसमें मुझे पुलिस ने एक दिन हिरासत में भी रखा। उस केस में काउंसलिंग अभी चल रही है। इसी बीच उसने घरेलू हिंसा का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा कर एफआईआर करवायी है।

मैम, हम कुछ भी कहते रहें अपनी सफाई में, उसका असर न तो पुलिस पर होता है, न कोर्ट पर। इन कानूनों का बेहद दुरुपयोग हो रहा है। दहेज प्रताड़ना के केस में तो मेरी उन बहनों के नाम भी लिखवाए गये हैं जो शादी के बाद 10-15 सालों से अपने-अपने घरों में हैं। पत्नी से रेप का झूठा चार्ज लगने पर मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि मैं बता नहीं सकता। अभी अंतरिम जमानत के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, देखिए क्या होता है। इस कानून में अब बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। इसको जमानती बनाया जाना चाहिए।

## दहेज-प्रताड़ना कानून के बढ़ते दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता क्योंकि कानूनी रूप से कोई पुलिस अफसर ऐसा कर सकता है। पुलिस अफसर को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति से ऊपर उठकर उस व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के न्यायसंगत कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। पुलिस हिरासत या नजरबंदी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा सकती है। किसी भी व्यक्ति को महज उसके खिलाफ आरोपों के आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। इसमें किसी भी पुलिस अफसर की सूझ-बूझ या समझदारी होनी चाहिए कि वह किसी नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए अपना काम करे। और शायद यह उसके अपने हित में भी होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को तब तक हिरासत में न ले, जब तक वह आरोप की जांच पड़ताल के बाद किसी संतोषजनक और तर्कसंगत बिंदु पर न पहुंच जाए। इससे किसी आरोप की वास्तविकता का भी पता लग सकेगा। किसी भी व्यक्ति से उसकी आजादी छीनना एक गंभीर मसला है।

**सर्वोच्च न्यायालय, जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994**

ध्यान रहे कि जांच एजेंसियों और न्यायालय का काम वॉच डॉग का है, न कि जासूस का। जांच एजेंसियों और न्यायालय का यह प्रयास होना चाहिए कि किसी आधारहीन और झूठे आरोपों के चलते किसी व्यक्ति को कष्ट न उठाना पड़े।

**न्यायाधीश अरिजीत पसायत व न्यायाधीश एच.के .सेमा**

इन मामलों में आरोपी को जमानत दी जा सकती है, लेकिन लम्बे समय तक मामलों की सुनवाई न होने की वजह से न्यायिक हिरासत में कैदियों को गहरी मानसिक यातना झेलनी पड़ती है। लम्बित मामलों से उपजी अनिश्चितता के कारण न तो कोई कैदी अपने भविष्य की योजना बना सकता है और न ही वर्तमान में अपने किसी काम को अंजाम दे सकता है। कैदियों का आत्मविश्वास डिगने लगता है, यहां तक कि सम्मानजनक तरीके से उनकी रिहाई के बावजूद लम्बे ट्रायल की कड़वी यादें उनके जेहन में बनी रहती हैं। वह रिहाई के बाद भी खुद को अपराधी या दोषी समझता है।

**सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल**

भले ही सभी आरोप अस्पष्ट हों, झूठे हों या बढ़ा-चढ़ा कर लगाए गए हों। भले ही महिला पर जानलेवा हमले या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के किसी आरोप का सबूत न हो, मगर जब एक बार आईपीसी की धारा 498-ए/406 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है तो आरोपी व्यक्ति क्राइम अगेन्स्ट वीमेन सेल और पुलिस के हाथो का खिलौना बन जाता है। उन्हें हिरासत में लिए जाने का खौफ दिखाकर यहां वहां दौड़ाया जाता है और व्यक्ति पर तब तक उसके दोस्तों या रिश्तेदारों के घर छिपने के लिए दबाव बनाया जाता है, जब तक उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल जाती, क्योंकि यह अपराध गैर जमानती अपराध है। इस तरह की हजारों शिकायतें और मामले आज भी लम्बित हैं और ऐसे ही न जाने कितने मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं।

**न्यायाधीश जे.डी.कपूर, दिल्ली उच्च न्यायालय**

ये आपसी सम्बन्धों में सुधार करने की प्रक्रिया नहीं है। यहां लांछन, गाली-गलौच और मार-पीट के साधारण आरोप होते हैं, मगर इन आरोपों से सबंधित कोई स्पष्ट विवरण या आंकड़े नहीं दिए जाते। एफआईआर में लगाए गए आरोप साधारण होते हैं।

**न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग, दिल्ली उच्च न्यायालय, 27.7.2005 जमानत ऑर्डर**

आजकल बड़ी राशि का दावा इसलिए किया जाता है क्योंकि शादी या दूसरी रस्मों पर दहेज या उपहार आदि के रूप में बहुत पैसा खर्च किया जाता है। कई मामलों में तो दहेज में करोड़ों खर्च करने का तर्क देकर करोड़ों रुपये का दावा किया जाता है, मगर कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि इतना पैसा आखिर आया कहां से और कहां चला गया? मै समझता हूं कि समय आ गया है न्यायपालिकाओं को ऐसी धनराशि के स्रोत का खुलासा करने पर जोर देना चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा दिए जाने पर भी जोर देना चाहिए। पुलिस को दहेज निषेध कानून के पालन पर जोर देना चाहिए और अगर किसी मामले में इस कानून का पालन नहीं किया गया तो ऐसे मामलों को दर्ज ही नहीं किया जाना चाहिए।

**न्यायाधीश शिव नारायण धींगरा, दिल्ली उच्च न्यायालय, नीरा सिंह बनाम राज्य, 23.2.2007**

इस मामले में आरोपकर्ता अपने पति के नाम घर छोड़ने का कारण बताते हुए एक चिट्ठी छोड़ती है। फिर अपने माता-पिता के घर में रहने के बाद वह रंग बदलना शुरू कर देती है। वह महिला जो हमेशा पति की समझदारी, प्रेम और स्नेह का गुणगान करते हुए उसके बिना कभी न रहने की बात करती थी वह अचानक उस सभ्य इंसान पर दहेज की मांग करने, निर्दयता दिखाने या गलत भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाने लगती है।

**न्यायाधीश शिव नारायण धींगरा, दिल्ली उच्च न्यायालय, 2006**

न्यायालय उन तथ्यों तक पहुंचना चाहेगा कि क्या कारण था कि एक शिक्षित महिला तलाक के लिए न्यायालय तक पहुंचती है और आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराती है और न केवल अपने पति बल्कि भारत और विदेश में रहने वाले उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी कई आरोप लगाती है। यह और कुछ नहीं, बल्कि एक चरित्रहीन पति से बचने के लिए इस अति महत्वपूर्ण धारा का दुरुपयोग करना है।

**एपी एचसी, सरिता बनाम रामचंद्र, 2003 डीएमसी 37 ( डीबी )**

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के कारण परिवार में पत्नी का स्थान अब पूरी तरह बदल गया है। दिन- ब-दिन आधुनिक किस्म की महिलाओं की बढ़ोत्तरी हो रही है, जिसकी वजह से शादी-शुदा जोड़ों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तरह के लड़ाई-झगड़ों को दहेज के मामले के रूप में तब्दील नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में अधिक झगड़े देखने को मिलते हैं जहां पत्नी अपने पति के बराबर या पति से अधिक सफल या शिक्षित होती है। जहां पत्नी कमाती है वहां तनाव और झगड़ों के कई दूसरे कारण होते हैं, लेकिन उन कारणों से इतर पत्नी अपने पति और उसके परिवार वालों पर शोषण और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाती है।

**कर्नाटक उच्च न्यायालय, पांडुरंग कट्टी मामला, 2003**

मैंने पाया कि आरोपी समझौते के लिए राजी है, लेकिन महिला अपनी बात पर अडिग है। वह पक्का कर लेना चाहती है कि आरोपी को निश्चित तौर पर जेल हो।

**द आशीष मारवाह बेल आर्डर, 2007**





## आशीष कुमार : वे लोग सिर्फ पैसे के लालची हैं

मैं ग्रेटर नॉयडा में रहता हूं और फिलहाल टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज में काम करता हूं। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं अमेरिका में था। मैंने लड़की की फोटो देखी थी और पसन्द कर लिया था। शादी से दो महीने पहले मैं इंडिया आया। 28 नवम्बर 2008 को हमारी शादी हुई। मेरी पत्नी का नाम मेघा सक्सेना है। शादी के दूसरे दिन उसने मुझे बड़ी गन्दी सी गाली दी। मुझे लगा उसका चाइल्डिश टाइप का नेचर है। मैं उस बात को टाल गया। मैंने उसका पासपोर्ट वगैरह तैयार करवाया और अपने साथ अमेरिका ले गया। जिस दिन वह वहां पहुंची उसकी तबियत काफी खराब थी, जिसके लिए उसने मुझे ही दोषी ठहराया। वहां वह लगभग हर दिन मुझसे छोटी-छोटी सी बात पर लड़ाई-झगड़ा करने लगी। करीब डेढ़ महीने बाद की बात है कि वह मुझ पर चीखने-चिल्लाने के बाद अचानक गिर पड़ी। इस अटैक के बाद मुझे पता चला कि उसको माइग्रेन की बीमारी है। मैं उसको लेकर शिकागो के सबसे बेस्ट न्यूरोलोजिस्ट डॉ. बोपाना के पास गया। उन्होंने मेरी पत्नी से पूछा कि माइग्रेन की इंटेंसिटी क्या है, अर्थात दो महीने में एक बार होता है या एक महीने में एक बार होता है। मेरी पत्नी ने बोला, 'दो दिन में एक बार होता है, 24 घंटे के लिए होता है और 7/10 की इंटेंसिटी का होता है।' डॉक्टर यह सुन कर बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि तुम कोई जिन्दगी नहीं जी रही हो। मेरी पत्नी की बीमारी से सम्बन्धित सारे डॉक्टरी दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं।

इसी बीच मेरे ससुर प्रदीप कुमार सक्सेना, जो कि सिंचाई विभाग में काम करते हैं, ने बरेली से गाजियाबाद अपना ट्रांसफर कराने के लिए मुझसे 6 लाख रुपया मांगा। मैं उनको पैसा नहीं भेज पाया क्योंकि मैंने अमेरिका में एक मकान खरीदा था और मेरी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता था। जब मैंने यह बात अपनी पत्नी को बतायी तो उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैने यह बात पहले क्यों नहीं बतायी, उसने तो सिर्फ यह देख कर शादी की थी कि मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, बहुत पैसा कमाता हूं। जब उसको समझ में आया कि मैं उसके पिता को पैसा नहीं भेज सकता तो उसने 24 मार्च 2009 को मुझसे कहा कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जरूरत पड़ने पर मेरे पिता की मदद भी नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अभी इंडिया वापस जाना है, तुम टिकट का इंतजाम करो नहीं तो मैं अभी 911 (पुलिस) पर फोन करती हूं। उसकी यह बातें मेरे लिए बहुत शॉकिंग थीं। मैंने उसका टिकट करा दिया और उसके मां-बाप को फोन करके कहा कि ये आ रही है, आप इसको किसी डॉक्टर को दिखाने के बाद कोई योगा क्लास ज्वाइन करा दीजिए ताकि यह ठीक हो जाए। मैंने अपनी पत्नी का 11 जून 2009 का रिटर्न टिकट भी कराया था ताकि वह तीन महीने के अन्दर मेरे पास लौट आये। मेरी पत्नी के इंडिया पहुंचने के बाद उसके पिता मेरे मां-बाप से जाकर मिले और बोले कि वह मुझसे अपनी बेटी का तलाक चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'हम ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी को नहीं रख सकते जो समय पर हमारे काम न आ सके। उसने इतना लोन लिया हुआ था तो हमें बताया क्यों नहीं।' मेरी मम्मी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, वे किसी तरह मानने को तैयार नहीं हुए। मैं अमेरिका में अपनी नौकरी दांव पर लगाकर इंडिया आकर उनसे मिला और उनको समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'पैसा देता है कि मैं आगे कुछ करूं।' मैंने कहा, 'पैसा किस बात का?' तो वह बोले, 'फिर तलाक मैं लेकर रहूंगा, देखता हूं तू क्या करता है।'

मैंने सोचा भी नहीं था कि वह मुझे दहेज-प्रताड़ना के केस में फंसा देंगे। एक दिन मैं सुलह-समझौते के विचार से उनके घर गया तो वे घर पर नहीं थे। उनके पड़ोसी ने मुझे देखकर अपने घर बिठाया और मुझे बताया कि दो दिन पहले ही मेरे ससुर ने उस पड़ोसी के साथ जाकर मेरे खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पड़ोसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपने ससुर को छह लाख रुपया अभी दे दूं तो वह केस वापस ले लेंगे। मैं उनसे यह कह कर वापस लौट आया कि इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे पैसा दे देने के बाद वह फिर कभी पैसे की मांग नहीं करेंगे? तब से अब तक मैं स्टे लेने के चक्कर में ही भटकता रहा। दहेज-प्रताड़ना की एफआईआर में मेरे ससुर ने मेरी उस बहन का नाम भी दर्ज करवा दिया है जो 13 साल से शादी करके अपने घर में है। सच तो यह है कि मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके डॉक्टरी प्रूफ मेरे पास हैं, उसके बावजूद मैं उसको अपने साथ रखने को तैयार हूं, लेकिन वे लोग सिर्फ पैसे के लालची हैं।

संस्था की 25 शाखाओं और अन्य संस्थाओं से प्रति-दिन जुड़ने वाले पीड़ित-पतियों की संख्या का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। संस्था के सदस्यों द्वारा आयोजित हर साप्ताहिक मीटिंग में सिर्फ पीड़ित-पति ही नहीं, कानूनी पेंचों को समझने के लिए उनके परिजन जैसे मां-बाप, भाई-बहन, चाचा, मामा वगैरह भी आते हैं। इंटरनेट के जरिए तो सेव फैमिली फाउंडेशन से दुनिया भर से लोग सम्पर्क करते हैं। गुरुदर्शन बताते हैं, ''हमारी कोशिश होती है कि हम हर नये जुड़ने वाले पीड़ित-पति को सबसे पहले मानसिक रूप से सहारा दें, क्योंकि जिस वक्त लोग हमारे पास आते हैं वे मानसिक रूप से बेहद टूटे हुए होते हैं। ज्यादातर पर फर्जी क्रिमिनल केसेज लदे होते हैं। और भगवान न करे यदि कहीं वह जेल जाकर लौटा होता है तो मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुका होता है। इसलिए हमारा पहला प्रयास उसको मेंटल सपोर्ट देने का होता है। हम उसके साथ रहते हैं, उसको हौसला देते हैं और बताते हैं कि कुछ वक्त लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेंटल ट्रीटमेंट देने के बाद हम मिलजुल कर उसके केस को लड़ने की रणनीति तैयार करते हैं। उसके केस से जुड़े कानूनी पक्ष के हर पहलू से उसको वाकिफ कराने के लिए पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने के लिए काफी सामग्री देते हैं। उसको कानूनी सलाह मुहैय्या कराते हैं और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वह आदमी बिना किसी वकील के अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हो जाए। कानून को, पुलिस व्यवस्था को और न्यायपालिका को समझना सीखे।''

498-ए एक्ट में बदलाव लाने के लिए चारों ओर से मांगें उठनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली मांग यह है कि इसे असंज्ञेय अपराध माना जाना चाहिए। दूसरा, इसे जमानती बनाया जाए ताकि थाना-स्तर से ही व्यक्ति को जमानत मिल सके। इसके लिए बार-बार विभिन्न कमेटीज की रेकेमेंडेशन्स भी आ रही हैं। दहेज-प्रताड़ना के फर्जी मुकदमो की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कई टिप्पणियां भी काबिले-गौर हैं। कई कमेटीज की संस्तुतियां इस सम्बन्ध में कानून मंत्रालय को भी भेजी

**▸▸ व्यवस्था के खिलाफ एकजुटः देश भर से आए पीड़ित पतियों ने बीती 15 अगस्त को शिमला में एक बड़ा सम्मेलन किया।**

जा चुकी है, लेकिन फिर भी बदलाव की प्रक्रिया पिछले 7-8 सालों से लम्बित पड़ी है।

एक पीड़ित राजेश ओझा का कहना है, ''जो भी मामले पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित हों और पारिवारिक विवाद के आधार पर उभरे हों, उन सभी मामलों का निपटारा पारिवारिक कोर्ट में ही होना चाहिए, उन्हें क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। दहेज मामले से सम्बन्धित बहुत सारे केसेज होते हैं, जैसे बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस इत्यादि। जब ये मामले क्रिमिनल कोर्ट में चलते हैं तो जिस जगह माता-पिता बच्चों से मिलने आते हैं, उसी जगह पर हथकड़ी-बेड़ियों में जकड़े तमाम अपराधी और उनके साथ पुलिसकर्मी भी आते हैं, ऐसे में बच्चों के मन-मस्तिष्क पर उस वातावरण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके लिए नाजुक उम्र में ऐसे दृश्य बड़े शॉकिंग होते हैं।''

आज के दौर में जब नारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, पुरुष के कंधे से कंधा मिला कर चल रही है, कमा रही है, आर्थिक रूप से मजबूत है और अपने अधिकारों व अपने हितों के लिए बने कानूनों से बखूबी वाकिफ है, तो वहीं वह इन कानूनों का दुरुपयोग करने में भी पीछे नहीं है और उसकी बदनीयती को सपोर्ट करने में वकील, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाएं भी पीछे नहीं हैं। मोटा पैसा मिलने के लालच में ये सभी दहेज कानून की आड़ में लड़की के झूठ को सच साबित करने में जुट जाते हैं। सारे मिलकर लड़के की जेब भी ढीली करवाते हैं और उस पर एक के बाद दूसरा आपराधिक मुकदमा भी ठोंकते जाते हैं।

आज जो लोग और जो संस्थाएं इस कानून में बदलाव लाने की बात कर रही हैं, उनकी मांग है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ 498-ए का मुकदमा लिखा जाए, तो उसी वक्त शिकायतकर्ता से उसकी शिकायत को साबित करने वाले सबूत या गवाह भी मांगे जाएं। बिना जांच और बिना सबूत के किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार न करे। इस सम्बन्ध में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी हैं। 489-ए पुलिस को यह हक देता है कि जितने भी नाम एफआईआर में दर्ज करवाए गये उन सभी को अरेस्ट कर ले। यह बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है।

पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय बनाए जाने की मांग भी पिछले तीन सालों से उठ रही है। इसके अलावा 19 नवम्बर का दिन अन्तर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी है। इसके लिए एक मेमोरेंडम भी प्रधानमंत्री कार्यालय में लम्बित पड़ा है। पीड़ित पतियों का कहना है कि इस देश में हरेक की केयर करने के लिए मंत्रालय हैं। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, यहां तक कि जानवरों के लिए भी, लेकिन हसबैंड्स के लिए कुछ नहीं है। बीती 15 अगस्त को देश भर से तमाम पीड़ित-पति स्वतंत्रता दिवस पारम्परिक तरीके से न मना कर, शिमला पहुंचे और दहेज-कानून और इससे सम्बन्धित कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया। उनका मानना है कि वे स्त्री केंद्रित समाज में जकड़ते जा रहे हैं। इस सम्मेलन में उन्होंने ऐलान किया कि वे तब तक स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

खैर, पतियों ने अब दर्द सहना नहीं, कहना शुरू कर दिया है। बहुत सम्भव है कि अपनी बीवियों से त्रस्त पति न्याय पाने के लिए आने वाले दिनों में झंडे-बैनर लिए देश भर की सड़कों पर दिखायी दें। 'दहेज और घरेलू हिंसा कानून की आड़ में बीवी सताए तो हमें बताएं', लिखे पोस्टर मेट्रो सिटीज में आम हो ही रहे हैं, कुछ लोग पहचान छुपा कर अत्याचार का शिकार पुरुषों की मदद में भी जुटे हैं। ये तमाम लोग सड़कों से लेकर कोर्ट तक और मीडिया से लेकर इंटरनेट तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। पिया की पीर उसकी अहं से भरी स्त्री भले न समझ सके, लेकिन कानूनविदों ने समझनी शुरू कर दी है, इसका प्रमाण हैं विभिन्न दहेज-प्रताड़ना मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों द्वारा की गई टिप्पणियां। कहना गलत न होगा कि बदनीयती और लालच में फंसी स्त्री न सिर्फ पति का जीवन तबाह करती है, बल्कि उसके स्वयं के जीवन में भी तनाव और कुंठा ताउम्र के साथी बन जाते हैं। भारतीय समाज में आज भी त्यागी हुई या तलाकशुदा औरत को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, इस सच को स्वीकारते हुए ही औरत को अपने भविष्य की चाल चलनी चाहिए। रसोईघर में दो बर्तन होते हैं तो वह खड़कते भी हैं और शान्त भी हो जाते हैं, पर कोई बर्तन यदि रसोई से बाहर जा गिरे, तो उसे कुत्ते-बिल्ली ही चाटते हैं। ■





# अभिभूत करती द्रौपदी

मजीद अहमद

'संस्कृति, नृत्य संस्थान' की ओर से 'द्रौपदी' का मंचन (अशोक विहार, दिल्ली) किया गया। नाटक का पहला दृश्य द्रौपदी- स्वयंवर है, उपरांत पांडव कुंती के पास जाते हैं और ठिठोली करते हुए कहते हैं- हम लोग सुंदर भिक्षा ले आये हैं। कुंती के मुख से बरबस शब्द निकलते हैं- तुम जो वस्तु लाये हो, सभी लोग आपस में बराबर-बराबर बांट लो। कृष्ण बताते हैं कि द्रौपदी ने पूर्वजन्म में आशुतोष से वरदान लिया था कि उसे जो पति मिले, उसमें पांच गुण अनिवार्य होने चाहिए- धर्मात्मा, बलशाली, श्रेष्ठ धनुर्धर, सौंदर्य-सम्पन्न और बेहद सहनशील। जाहिर है ये पांचों गुण किसी एक पुरुष में नहीं हो सकते। द्रौपदी विभाजित होती है। वह वस्तु हो जाती है... उसकी पीड़ा शब्दातीत और अनंत है।

'द्रौपदी' के खास दृश्यों में उसका स्वयंवर तथा चीर-हरण का दृश्य दर्शाना एक जद्दोजहद रही। वह अपने केश दुःशासन के लहू से धोने की शपथ लेती है और पंद्रह वर्ष तक अपनी केशराशि खुली रखती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम दुःशासन के हाथ उखाड़ देते हैं, उसका लहू लेकर द्रौपदी के पास जाते हैं- शपथ पूरी होती है। चीर-हरण के समय दुर्योधन ने भी द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठाने की बात कही थी...

नाटक के अन्य दृश्यों में शकुनि की कुटिलता को खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर जब कौरव कुरुक्षेत्र में हार जाते हैं, मारे जाते हैं, तब कृष्ण गांधारी और धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। गांधारी क्रोधित है। वह कृष्ण को शाप देती है- जिस तरह कौरव-वंश का विनाश हुआ, उसी तरह यदुवंश का अंत हो जायेगा। तत्पश्चात् द्वारका डूब जाती है।

द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर बीस दृश्य-बंधों में यह नाटक मंचित हुआ। इसमें अन्य आकर्षित करने वाले दृश्य थे- विदुर-कृष्ण की मित्रता, कृष्ण का शांति-प्रस्ताव तथा भजन- 'सब सों ऊंची प्रेम-सगाई।' मोहग्रस्त अर्जुन को उपदेशित करते कृष्ण का दृश्य संक्षिप्त था, वहीं कृष्ण का विराट स्वरूप सम्मोहक बन पड़ा।

नाटक में युद्ध से लौटते हुए सैनिक एक आहत पश्चाताप सुनते हैं- वह जैसे हमारे आस-पास बिखरा हुआ है। यहां प्रतिरोध का नया वैश्विक पाठ समय की शिला पर हतप्रभ बैठा है।

**विदुर-कृष्ण की मित्रता, कृष्ण का शांति-प्रस्ताव तथा भजन- 'सब सों ऊंची प्रेम-सगाई।' मोहग्रस्त अर्जुन को उपदेशित करते कृष्ण का दृश्य संक्षिप्त था, वहीं कृष्ण का विराट स्वरूप सम्मोहक बन पड़ा।**

द्रौपदी की भूमिका में मंजू हूडा, गांधारी में अल्पना, दुर्योधन में अमित महेन्द्रा, कुंती में अर्चना, शकुनि में तरुण कनौजिया और अर्जुन में मन शर्मा का अभिनय सराहनीय रहा। 'द्रौपदी' नाटक की संरचना एवं निर्देशन राजीव गुप्ता का था। ■

## स्त्री की व्यवस्था से मुठभेड़

इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित संध्या में ख्यातिलब्ध कथक नृत्यांगना उमा शर्मा ने कथक नृत्य रचना प्रस्तुत की। नृत्यांगना उमा शर्मा के पास अनुभव का कोष है। वे जब मंच पर आती हैं तो लगता है कि घुंघरू खुद बजने लगे और तबले तान देने लगे। उन्होंने गायक पंडित ज्वालाप्रसाद के साथ लंबे समय तक काम किया है। यहां ज्वाला जी ने कहा-'आप नाचती जाइएगा और मैं गाता जाऊंगा।'

नृत्यांगना उमा शर्मा ने नृत्य का आरंभ भाव-अभिनय से किया। कविता-पंक्तियों- 'हे गृभस्थ लाडली, तुझसे व्यथा हृदय की कहती हूं' को संवाद के रूप में कहा गया। अजन्मी कन्या और मां की संवेदनाओं को उमाजी ने निरूपित किया। उपरांत 'प्रसाद' की 'नारी, तुम केवल श्रद्धा हो!' के गायन के समानान्तर नृत्यांगना ने अभिनय प्रस्तुत किया। साथ ही देवी दुर्गा, रमा और सरस्वती के रूपों को भाव-भंगिमा के जरिये चित्रित किया। हस्त-संचालन और नेत्र-भावों के माध्यम से वीणापाणि का चित्रण मार्मिक

था। कुछ टुकड़े और तिहाइयों की पेशकश से यह अंश अनूठा बन पड़ा।

एक मां का व्यवस्था को चुनौती देना कविता का मूल संदेश था। इसके लिए उन्होंने जानदार तत्कार पेश की। इस प्रस्तुति के संगतकारों में शामिल थे- सरोद पर समी खां, सितार पर खालिद मुस्तफा, तबले पर मुबारक अली, सारंगी पर कमाल अहमद और बांसुरी पर रजत प्रसन्ना। ■